TR1LOKI NATH CHATURVEDI): I think in view of the clarifications given by the hon. Minister, you may like to ...

SHRI RAGHAVJI: But, on that point there has been no clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): But the Minister has assured that if any other thing has been left out, he will consider it.

SHRI RAGHAVJI: But my point is why my amendment has not come to the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think it should have come at least 24 hours before. It has come only today.

SHRI RAGHAVJI: But the Bill had been received only yesterday. How could wc move an amendment 24 hours before?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I understand from the Office that your jinendment was received after the discussion on it had started. But I have no doubt that the hon. Minister...

SHRI RAGHAVJI: But, Sir, there should be some permanent arragement that the copies of the Bill are received two days in advance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I request the hon. Parliamentary Affairs Minister to ensure that for the future.

SHRI RAGHAVJI: But, Sir, I sent in my the amendment before the discussion actually started. May be, half-an-hour earlier.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, unless he has strong objection, let him withdraw his amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Since it has not been admitted, the question of withdrawal does not arise. The other points have been taken note of by the Office and by the Minister of State for Parliamentary Affairs.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, The Enacting Formula and The title were added to the Bill.

SHRI K. YERRANNAIDU: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BULL, 1996

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI):
Now, we move on to the next item on the Agenda — Delhi Development (Amendment) Bill, 1996. Dr. Venkateswarlu.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Sir, I move:

> "That the bill further to amend the Delhi Development Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

This Bill seeks an amendment to the Delhi Development Act, 1957 which has been passed by Lok Sabha. This amendment Bill has got a very limited purpose. The Delhi Development Authority was set up under the Delhi Development Act, 1957 with the object of promoting and securing the development of Delhi according to plan. Three representatives of the erstwhile Metropolitan Council of Delhi constituted through the Delhi Administration Act of 1966 were represented in Delhi Development Authority under sub-section (3) (f) of section 3 of the Act. Since the Metropolitan Council stands abolished

and the Legislative Assembly has been constituted for the National Capital Territory of Delhi, there has been no representation of the elected body of Delhi in the Authority. In order to ensure effective deliberations and democratic functioning of the Delhi Development Authority, it became necessary to provide for three representatives of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, as members of the Delhi Development Authority. To achieve this object, the Delhi Development (Amendment) Bill, 1996 has been introduced in the Lok Sabha and it has been passed by them. Now, I am appealing to this House to consider and pass it.

With these few words, I once again request the Members to consider and pass the Delhi Development (Amendment) Bill, 1996.

The question was proposed.

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय सदन के विचाराधीन है यह एक सीमित उद्देश्य के लिए लाया गया है और वह सीमित उद्देश्य यह है कि दिल्ली में मेट्रोपोलिन काउन्सिल के तीन प्रतिनिधि डीडीए में हुआ करते थे, अब उनके स्थान पर दिल्ली की विधान सभा के तीन प्रतिनिधि डीडीए में जा सकें। लेकिन जहां मैं इस बात का समर्थन करता हूं और बिल को सपोर्ट करता हूं वहां मेरा यह कहना है कि जो नेशनल केपीटल टेरिटरी आफ दिल्ली का एक्ट पास किया गया था, उसको पास करने के साथ यह एक कोंसीक्वेंशल अमेंडमेंट है जो फौरन आ जाना चाहिए था, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए था। दिल्ली की सरकार को गठित हुए तीन वर्ष हो गये और यह एक माइनर अमेंडमेंट है जो कोंसीक्वेंशल नेचर का अमेंडमेंट है जो फौरन हो जाता तो दिल्ली की असेम्बली के तीन प्रतिनिधि डीडीए में होते। लेकिन बहुत लम्बा समय लिया गया और दिल्ली की विधान सभा का डीडीए में कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच सका। यह जो उपेक्षा है दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों को डीडीए जैसी बॉडी में लाने के मामले में, उस उपेक्षा की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बात को आप डीडीए में देखेंगे कि जैसा उसका मौजूदा तंत्र है उस पर अफसरशाही हावी है, नौकरशाही हावी है। डीडीए के प्रबन्धन पर, उसके मेनेजमेंट में पूरी तरह से कंट्रोल अफसरशाही का है, नौकरशाही का है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए]

निर्वाचित प्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिया जाता है। आप उदाहरण देखिये इसका डीडीए में, दो सदस्य म्युनिसिपल कार्पोरेशन के होते हैं और तीन पहले मैट्रोपोलिटन काउंसिल के हुआ करते थे अब विधान सभा के होंगे। दिल्ली में मैट्रोपोलिटन काउंसिल को भंग हुए बहुत लम्बा समय हो गया, विधान सभा को बने हुए तीन वर्ष हो गये अब यह अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है और इस ढंग से एमसीडी के चुनाव 1983 में हुए थे अब उसके चुनाव शायद जल्दी होंगे। इस बीच में बहुत लम्बे समय से दिल्ली में निर्वाचित एमसीडी भी नहीं है। इसलिए एमसीडी में जो दो प्रतिनिधि डीडए में हो सकते थे वे सीटें भी खाली पड़ी हैं। डीडीए का मैनेजमेंट करने वाली, प्रबन्ध करने वाली जो बाडीज है, उसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का काफी समय से अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह से डीडीए को पूरी तरह से अफसरशाही के हाथ में दिया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को उसमें स्थान न मिलना यह गहरी चिंता का विषय है।

एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट लाया गया है यह अमेंडमेंट तो महज मैट्रोपोलिटन काउंसिल के स्थान पर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेम्बली से तीन प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान करने वाला होना चाहिये लेकिन इसमें ये बात क्यों जोड़ दी गई है कि दिल्ली की असेम्बली के जो तीन लोग चुनकर आयेंगे उनमें से दो रूलिंग पार्टी के होंगे और एक अपोजिशन का होगा। पहले तो यह व्यवस्था और पद्धति नहीं थी। मैट्रोपोलिटन काउंसिल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की पद्धति से अपने तीन प्रतिनिधि चुनती थी डीडीए के लिए। अब मैट्रोपोलिटन काउंसिल नहीं है उसके स्थान पर विधान सभा है तो विधान सभा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति से अपने तीन प्रतिनिधि चुने, हाउस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की पद्धति से अपने तीन प्रतिनिधि चुनकर डीडीए को भेजे। यहां जो इस अमेंडमेंट में कंडीशन लगाई गई है कि उन तीन में से "...of whcih two shall be from among the rulling party and one from the party in opposition to the Government:" ये मैट्रोपोलिटन काउंसिल में था नहीं अब भी इसकी आवश्यकता नहीं है। असेम्बली अपने विवेक से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की पद्धति से तीन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे। इसलिये इसमें जो एक

क्वालिफाइंग क्लाज लगा की गयी है कि "

..of

which two shall be from among the ruliing party and one from the party in opposition to the Government:

मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है।

महोदय, मैं इस विधेयक पर अपना मत व्यक्त करते हुए सबसे पहले तो मंत्री महोदय से यह मांग करना चाहता हूं कि डीडीए का गठन 1957 में हुआ था अब डीडीए को काम करते हुए 40 वर्ष हो गये हैं। इन 40 वर्षों में डीडीए का कुल मिलाकर कार्यकलाप कैसा रहा, इसकी परफोर्मन्स कैसी रही? जिन आब्जेक्टिव और उद्देश्यों के लिए उसकी स्थापना हुई थी उन ओब्जेक्टिव और उद्देश्यों को वह पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया? इन सबका गहराई से अध्ययन होने की, जांच किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक हाईपावर कमेटी बनाई जाये जो डीडीए के 40 वर्षों के कार्यकलापों की जांच करे और देखे कि जिन उद्देश्यों के लिए डीडीए की स्थापना हुई थी वे उद्देश्य पूरे हुए कि नहीं हुए हैं। डीडीए का गठन दिल्ली का योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए हुआ था किन्तु क्या डीडीए दिल्ली का योजनाबद्ध तरीके से विकास कर पाई? मास्टर प्लान बनाया गया, क्या मास्टर प्लान के हिसाब से दिल्ली का विकास हुआ? मास्टर प्लान का पालन कम हुआ है, मास्टर प्लान का वायलेशन अधिक हुआ है, हैफहेजर्ड विकास होता गया, अनप्लान्ड तरीके से दिल्ली बढ़ती चली गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मास्टर प्लान के अन्तर्गत ज़ोनल प्लान बनने थे। 15 ज़ोन के लिए ज़ोनल प्लान बनने थे, ज़ोनल प्लान नहीं बने। डी०डी०ए० अपनी परफॉरमेंस के लेवल पर असफल रही है। उसकी जो फेलयर है, इसकी जांच करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक हाई पावर कमेटी सेट-अप की जाए। महोदय, डी०डी०ए० की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि डी०डी०ए० का जो प्रबन्ध है वह डेमोक्रेटिक सेट-अप की मारफत नहीं चलता। एक एडवाइज़री कमेटी है। एडवाइज़री कमेटी की तीन-तीन, चार-चार वर्ष तक बैठक नहीं होती है। डी०डी०ए० में फैसला करने वाली जो एपेक्स बॉडी है वह अथारिटी है लेकिन उस अथारिटी में न लोक सभा और न राज्य सभा के प्रतिनिधि हैं। एडवाइज़री कमेटी में तो हैं लेकिन डी०डी०ए० किस के प्रति जवाबदेह है? अगर लोक सभा और राज्य सभा के प्रति जवाबदेह है तो संसद् का कोई प्रतिनिधि अथारिटी में क्यों नहीं होना चाहिये? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह संस्था जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण से मुक्त है, इसका वर्तमान स्वरूप बदलने की जरूरत है। इसका गठन डेमोक्रेटाइज़ किये जाने की जरूरत है। दिल्ली विकास प्राधिकरण में संसद् के प्रतिनिधि जिनमें दिल्ली के प्रतिनिधि भी हों, उनको विशेष रूप से स्थान देने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के विकास के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ी संस्था डी०डी०ए० है लेकिन वह दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। दिल्ली सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। जवाबदेह दिल्ली की चुनी हुई सरकार है। लैंड, लैंड यूज़, मकान, लैंड और मकानों से दिल्ली के विकास से जुड़े हुए जितने मसले हैं, उनके लिए जवाबदेह दिल्ली की चुनी हुई सरकार है और डी०डी०ए० पर नियंत्रण है केन्द्र का। यह बिलकुल बेतुकी व्यवस्था है। इस बेतुकी व्यवस्था को बदले जाने की जरूरत है। डी०डी०ए० को दिल्ली सरकार के अधीन लाया जाना चाहिये क्योंकि निर्वाचित सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इसलिए निर्वाचित सरकार का दिल्ली का विकास करने वाली संस्था पर नियंत्रण होना चाहिये। फिर संयुक्त मोर्चा सरकार तो विकेन्द्रीकरण की दुहाई देती है, राज्य सरकारों को अधिक अधिकार देने की बात करती है। अगर आप ऐसी बातें कहते हैं तो डी०डी०ए० को दिल्ली सरकार के अधीन लाने में आप क्यों कतराते हैं? क्या इसलिए डी०डी०ए० को दिल्ली सरकार के अधीन लाने में कतराते हैं क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो दिल्ली के विकास के लिए जिम्मेदार है, डी०डी०ए० पर उसका नियंत्रण लाया जाए। महोदय, दिल्ली के विकास में एक बड़ी भारी बाधा है। दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी सिस्टम है। अनेक एजेंसियां हैं जो अपने अपने तरीके से विकास के लिए जिम्मेदार है। यह मल्टीपल एजेंसी सिस्टम आम नागरिकों के लिए काफी कष्टदायक है। इनका आपस में कोई समन्वय नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। एक ही बात के लिए कहीं एम०सी०डी० कहीं डी०डी०ए०, कहीं स्लम विभाग, कहीं डी०टी०सी०, कहीं डेसू अलग अलग प्रकार की एजेंसियां जिम्मेदार हैं। उनमें तालमेल न होने के कारण आम नागरिक को कितनी दिक्कत होती है, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि दिल्ली के विकास के लिए एक इंटेग्रेटिड सेट-अप होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि दिल्ली के विकास के लिए एक इंटेग्रेटिड सेट-अप स्थापित करने के विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए। श्रीमन्, दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है,

आवास की समस्या। दिल्ली बहुत तेजी से बढ़ी है। 1947 की दिल्ली की 7 लाख की आबादी, आज एक करोड़ की सीमा लांघ रही है।

पड़ोसी राज्यों से धड़ाधड़ लोग दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली का जो यह फैलता हुआ स्वरूप है इसमें दो आवश्यकताएं पैदा होती हैं। बड़ी संख्या में आवास इकाइयां, हाउसिंग यूनिट्स बननी चाहिएं और बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जानी चाहिए। क्या डीडीए इन दो आवश्यकताओं को पूरा करने में कामयाब हुआ है? डीडीए इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है। दिल्ली में जितनी आवश्यकता है उसके मुकाबले में आवास इकाईयां बनाने की डीडीए की कैपेसिटी ही नहीं है डीडीए जो समय निर्धारित करता है उस निर्धारित समय पर अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाता। आवासीय इकाईयों की कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। क्वालिटी बहुत खराब है। प्रतीक्षा सूची बहुत लम्बी है। 80 हजार लोग इस समय भी प्रतीक्षा सूची में हैं। जिन लोगों ने 1979 में न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत अपने को रजिस्टर करवाया था अभी तक उन लोगों को मकान नहीं मिल पाए। 1979 से अब दो साल बाद 1997 में 20 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी कि उन लोगों को मकान नहीं मिल पाएंगे। बहुत से लोग उनमें से रिटायर हो जाएंगे। क्या स्थिति है कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की। कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज कितनी हैं जिनको रजिस्टर किया गया है। उनमें से कितनी को जमीन दी गयी, कितनी देर के बाद दी गयी? जमीन की कीमतें कितनी बढ़ गयी? उनसे आज क्या दाम लिए जा रहे हैं? मेरा यह कहना है कि दिल्ली में कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज स्कीम को प्रोत्साहित करने की बजाए डीडीए उनके रास्ते में अपनी नीतियों के कारण रूकावटें डालता आया है, बाधा डालता आया है। 1983 से 1992 तक सहकारी समितियों को जमीन ही नहीं दी गयी। फिर जिनको जमीन दी गयी, बहुत देर से दी गयी। जमीन महंगी कर दी गयी। कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को गति और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी किंतु डीडीए की गलत नीतियों के कारण उन्हें हतोत्साहित किया गया। महोदय, एक विचित्र बात है कि एक तरफ डीडीए लोगों की मकानों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है और दूसरी ओर दस हजार के करीब फ्लैट ऐसे तैयार हैं जिनका आवंटन नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उनमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उनमें बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ये दस हजार फ्लैट कोंडली में, घरोरा में, नजफगढ़ में और रोहिणी क्षेत्र में हैं। कितना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है डीडीए को और चूंकि बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार फ्लैटों में उपलब्ध नहीं करवायी जा रही हैं, इसलिए डीडीए आवास निर्माण की परियोजनाओं के लिए जो निर्धारित पैसा है वह भी खर्च नहीं कर रहा है। एक 300 करोड़ की आवास निर्माण की परियोजना स्वीकृत की गयी थी उसमें से अभी केवल 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आधा वर्ष बीत चुका है। समयबद्धता का तो कोई ध्यान ही डीडीए में नहीं रहता है। महोदय, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में अनधिकृत बस्तियां हैं। ये अनधिकृत बस्तियां इसलिए विकसित हो गयीं कि डीडीए दिल्ली के प्लान्ड डेवलपमेंट की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकामयाब हुआ है। इसलिए इन अनधिकृत बस्तियों के विकसित होने की पूरी जिम्मेदारी डीडीए की एडहाक और गलत नीतियों की है। अब इन अनधिकृत बस्तियों में लाखों लोग रहते हैं। उन्हें दिल्ली से बाहर तो फेंका नहीं जा सकता। उनको बिजली, पानी, सड़कें और विकास की बुनियादी जरूरतें मुहैया की जानी चाहिए। इसलिए इन अनधिकृत बस्तियों को रेगूलराइज करने की जरूरत है। दिल्ली की सरकार ने काफी समय पहले केन्द्र को सिफारिश करके भेजा है कि दिल्ली की 1071 बस्तियों को रेगूलराइज किया जाए। केन्द्र क्यों सोया हुआ है उस पर। मेरा निवेदन है कि उन 1071 बस्तियों को रेगूलराइज करने की दिल्ली सरकार की मांग को अविलम्ब स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि इन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को विकास और बुनियादी सुविधाओं की जो जरूरतें हैं, वे मुहैया की जा सकें। इस निर्णय को टालना इन लाखों-लाख लोगों के प्रति घोर अन्याय होगा।

महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि डी०डी०ए० दिल्ली की सारी जमीन को हड़प कर अपने कब्जे में तो करना चाहता है, लेकिन उस जमीन की प्रबन्ध व्यवस्था नहीं कर सकती। उस पर एन्क्रोचमेंट होता है, अवैध कब्जे होते हैं और अवैध निर्माण होता है। डी०डी०ए० अपनी जमीन की रखवाली नहीं कर सकती। अधिग्रहण कर लेती है, उसके बाद जमीन खुली पड़ी रहती है। उस पर मवेशी बंधते हैं। डी०डी०ए० के पार्कों में मवेशी बांधे जा रहे हैं, उपले पाथे जा रहे हैं, झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। डी०डी०ए० को कोई चिंता ही नहीं है कि उसकी कितनी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और अवैध कब्जे हुए हैं। 3,257 एकड़ लैंड डी०डी०ए० की उस पर अवैध कब्जा हो गया। उस 3,257 एकड़ जमीन की कितने करोड़ रुपये कीमत है?

डी०डी०ए० के पास इन अवैध कब्जों से जमीन को मुक्त कराने के लिए क्या कोई मशीनरी है या नहीं, कोई इच्छा है या नहीं, कोई संकल्प है या नहीं? एम०पीज़ को जो एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष एम०पी० लोकल एरिया डिवैलपमेंट फंड का मिलता है मैंने सोचा कि मैं उस फंड से अपने क्षेत्र में जहां मैं जमनापार रहता हूं वहां डी०डी०ए० के पार्कों को डिवैलप करवा दूं। पैसा उस एम०पी० लोकल एरिया डिवैलपमेंट फंड से देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं जरा मुआयना करने के लिए गया कि मेरे एरिया में कितने डी०डी०ए० के पार्क हैं तो देखा कि प्रायः सभी पार्कों में मवेशी बंधे हैं, उपले पाथे जा रहे हैं और अवैध कब्जा हो रहा है। डी०डी०ए० अपनी अधिग्रहित की हुई जमीन की अगर फैंसिंग तक भी नहीं कर सकती तो डी०डी०ए० अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का कैसे निर्वाह करेगी?

महोदय, डी०डी०ए० के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें व्यापक रूप में लगातार होती रही हैं। यह संस्था ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कभी-कभी लोक दिखावे के लिए छोटे अफसरों पर, कोई ए०ई० वगैरह के स्तर के अफसरों पर कुछ कार्यवाही हो जाती है। डी०डी०ए० में आम व्यक्ति को लूटने का और भ्रष्टाचार का एक बहुत गहरा तंत्र बन चुका है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि डी०डी०ए० के बड़े अफसरों और इंजीनियरों के जो एसेट्स हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि ये एसेट्स कैसे क्रिएट हुए, कितने समय में क्रिएट हुए, इनका स्रोत क्या है। अगर आप डी०डी०ए० को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते तो डी०डी०ए० के संबंध में आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जायेंगी। डी०डी०ए० को भ्रष्टाचार से मुक्त करना एक सब से महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

महोदय, एक बात का जिक्र मैं और करूंगा। डी०डी०ए० का पब्लिक ग्रीवांसेज़ रिड्रेसल का कोई इफैक्टिव सिस्टम नहीं है। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता हूं। इसलिए उसको छोड़ता हूं। केवल इशारा करके एक बात कह देना चाहता हूं। 1994 में मैंने लीज़ होल्ड को फ्रीहोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन दी। हमारे परिवार की एक ज्वाइंट प्रापर्टी है और डी०डी०ए० के नार्म के हिसाब से जो 95 हजार रुपया बनता था वह जमा करा दिया। 1994 से आज 1996 के नवंबर महीने तक वह लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड में कंवर्शन नहीं हुआ और न ही डी०डी०ए० की तरफ से जवाब का मुझको कोई पत्र आया कि आपका मामला विचाराधीन है। यह मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। पता नहीं ऐसे और कितने मामले होंगे? डी०डी०ए० पत्रों के उत्तर नहीं देती। लोगों की शिकायतें सुनने और निपटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नौकरशाही तंत्र है। लोगों के प्रति इनडिफैरेंट कैरेक्टर एटीट्यूड है। यह व्यवस्था बहुत तकलीफ देने वाली है। डी०डी०ए० जनसेवा करने वाली संस्था है या मुनाफाखोरी करने वाली संस्था है? डी०डी०ए० का निर्माण हुआ था दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए, गरीब व्यक्तियों को मकान मुहैया करने के लिए, आप आदमी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के लिए, लेकिन यह तो मुनाफाखोरी करने वाली एक पूंजीपति संस्था के रूप में विकसित हो गई। भूमि का अधिग्रहण करती है। जिस कीमत पर भूमि का अधिग्रहण करती और मुआवजा देती है, उसमें और फिर जिस कीमत पर वह उस जमीन को बेचती है, उन दोनों के बीच में कोई तर्कसंगत रिश्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसलिए अधिग्रहण के मौके पर जो मुआवजा दिया जाता है, उस से असंतोष पैदा होता है। फिर मामले अदालत में जाते हैं और लंबित पड़े रहते हैं। अधिग्रहण की राशि और जिस कीमत पर डी०डी०ए० उस को बेचती है, इन दोनों में कोई-न-कोई तर्कसंगत रिश्ता होना आवश्यक है क्योंकि डी०डी०ए० जनसेवा करने वाली संस्था है न कि मुनाफाखोरी करने वाली संस्था।

महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान अर्बन सीलिंग एक्ट की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यह अर्बन सीलिंग एक्ट 1976 में बना था और उस समय अनुमान लगाया गया था कि सीलिंग सरप्लस लैंड 2.2 लाख हैक्टेयर है। उस में से कितनी लैंड का प्रोक्यूरमेंट हुआ है। वर्ष 1976 से 96 तक पिछले 20 सालों में केवल 15 हजार हैक्टेयर भूमि को ही सरकार प्रोक्यूर कर पाई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, 1976 के प्रोवीजंस इफैक्टिव नहीं हैं? क्या हमारे पास एनफोर्समेंट की मशीनरी नहीं है? अगर अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, 1976 के प्रोवीजंस इनइफैक्टिव हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन किया जाये। इस के प्रावधानों को अधिक इफैक्टिव और प्रभावशाली बनाया जाये।

मंत्री जी, दिल्ली एक बहुत पुराना, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है। यह नगर अंग्रेजों के आने के बाद बसा हो, ऐसी बात नहीं है। यह तो पाण्डवों के समय का बसा हुआ नगर है और उस समय इस का नाम इंद्रप्रस्थ था, लेकिन क्या दिल्ली में हमें इंद्रप्रस्थ की झलक दिखाई पड़ती है? दिल्ली के ऐतिहासिक,

सांस्कृतिक इंद्रप्रस्थीय व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, यह झलक पैदा करने की कोई जिम्मेदारी डी०डी०ए० की है या नहीं? क्या डी०डी०ए० इस को एक बेतरतीब नगर के रूप में बढ़ाता चला जाएगा या दिल्ली के व्यक्तित्व में इन्द्रप्रस्थ के व्यक्तित्व की झलक भी लाने का प्रयास करेगा?

मंत्री महोदय, आज दिल्ली एक घोर अराजक शहर है। इस में प्रदूषण सब से अधिक है, यातायात पूर्णतः अराजक है, सड़कों पर दुर्घटनाएं सब से यादा हो रही है, प्लानिंग का पूर्ण अभाव है और अनप्लांड तरीके से यह नगर बढ़ रहा है। क्या हम देश की राजधानी को इसी तरह से बढ़ाना चाहेंगे? क्या हम देश की राजधानी के विकास के लिए जिम्मेदार जो डी०डी०ए० नाम की संस्था है, उस को इसी तरीके से अनियंत्रित रहने देंगे या हम डी०डी०ए० की साज-संभाल करेंगे? इसलिए मेरा आप से निवेदन है — (1) डी०डी०ए० को दिल्ली सरकार के अंतर्गत लाएं, (2) डी०डी०ए० के मौजूदा स्वरूप और ढांचे को बदलकर उसे डेमोक्रेटाइज करें, (3) डी०डी०ए० में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाएं, (4) डी०डी०ए० के 40 वर्षों के कार्यकलाप की जांच करने के लिए कोई हाई-पावर कमेटी बनाएं और (5) मेरा अंतिम निवेदन यह है कि कम-से-कम यह जो अमेंडमेंट आप लाएं हैं और इस में जो यह शर्त रखी है कि:

> "Three representatives of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to be elected by means of a single transferable vote by the members of the Legislative Assembly from among themselves of which two shall be from among the ruling party and one from the party in opposition to the Government."

इस को हटा दें जिस से दिल्ली की विधान सभा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से अपने बीच में से किन्हीं तीन प्रतिनिधियों को चुनकर भेज सकें क्योंकि यही पद्धति पहले जब मेट्रोपोलिटन कॉउंसिल थी तब तक यह विद्यमान थी।

महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर आप भारत की राजधानी दिल्ली का सुंदर और योजनाबद्ध विकास चाहते हैं तो उस के लिए डी०डी०ए० के चरित्र को, स्वरूप को और प्रबंध के तंत्र को बदलकर दिल्ली सरकार के अधीन लाना होगा ताकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार इस संस्था के माध्यम से दिल्ली का योजनाबद्ध विकास कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम देव भंडारी: (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1996 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के द्वारा डी०डी०ए० के लिए विधानसभा से तीन विधायकों का चुनाव करना है, जिनमें से दो सत्ताधरी दल के होंगे और एक विरोधी दल के होंगे। पूर्व में दिल्ली महानगर परिषद से तीन सदस्य इसमें होते थे। दिल्ली विधानसभा गठित होने के बाद इसमें विधायकों को शामिल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अभी मैं कोहली साहब को सुन रहा था। कोहली साहब कह रहे थे कि यह जो एक विरोधी दल के विधायक को इसमें शामिल करने की बात कही गई है वह नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कोहली साहब को थोड़ा और उदार होना चाहिए और मेरी तो राय यह है कि जो भी राष्ट्रीय दल दिल्ली विधानसभा में हैं उन सभी दलों का प्रतिनिधित्व डी०डी०ए० में होना चाहिए।

महोदय, दिल्ली की आबादी तकरीबन एक करोड़ है और जिस तरह से यह आबादी बढ़ रही है तो शीघ्र ही यह एक करोड़ को पार कर जाएगी। जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है, यहां मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की भी कमी होती जा रही है। दिल्ली में तकरीबन 1200 से अधिक झुग्गी झोंपड़ियां, जे०जे० कालोनी हैं और उसमें, दिल्ली की जो आबादी है उसके 25 से 30 प्रतिशत लोग रहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान तथा अन्य राज्यों से रोजगार तथा रोजी-रोटी की तलाश में अपने बीवी बच्चों के साथ आए यह फटेहाल तथा परेशान लोग नर्क की जिंदगी यहां जी रहे हैं। बिजली, पानी, नालियां, शौचालय, सफाई जैसी मूलभूत आवश्यकता की कमी की वजह से इनकी जिंदगी नारकीय है। इन कालोनियों में बेकारी और भुखमरी ही नहीं बल्कि बीमारी ने भी अपना घर बना लिया है। डेंगू बुखार ने इनमें से कई परिवारों को मौत की गोद में सुला दिया है। महोदय, इन कालोनियों को नियमित नहीं किया जा रहा है।....

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): भंडारी जी, एक मिनट थोड़ा सा बैठेंगे।

I want to take the sense of the House.

There is an urgent matter. I would request Dr. U. Venkateswarlu to lay the papers.

TREATY BETWEEN INDIA AND BANGLADESH ON SHARING OF GANGA WATERS AT FARAKKA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri I.K. Gujral, I beg to lay on the Table of the House a copy each (in Hindi and English) of the treaty between India and Bangladesh on sharing of the Ganga Waters at Farakka as mentioned in the Statement which was made in the House today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): As you know Shri I.K. Gujaral has already stated in the House that clarifications will be made tomorrow. So all the clarifications will be taken up tomorrow. I want to take the sense of the House. There are four other Members to speak on the Bill and there are Special Mentions also.

श्री राम देव भंडारी (बिहार): स्पेशल मैंशन कल, यह बिल आज कर लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): यह डी०डी०ए० वाला बिल आज पूरा कर लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): ठीक है। भंडारी जी, आप शुरु कीजिए।

DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 1996-Contd.

श्री राम देव भंडारी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि दिल्ली में जो झुग्गी-झोपड़ियां हैं, जे० जे० कालोनी हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों महेन्द्र यादव, एडवोकेट के नेतृत्व में जंतर-मंतर के पास हजारों लोगों ने 49 दिनों तक धरना दिया था। हमारे मंत्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जी वहां गए थे और एक डेलीगेशन को लेकर उन्होंने प्राइम-मिनिस्टर साहब से भी बात की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में जो उचित कार्यवाही होगी वह करेंगे।

5.00 प० प०

मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये जो कालोनियां हैं, इनको शीघ्र नियमित किया जाए। सरकार द्वारा वहां मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इन सारी बातों की भी व्यवस्था की जाए ताकि वे लाखों-लाख लोग जो वहां नर्क की जिन्दगी बिता रहे हैं, उनको उस जिन्दगी से उबारा जा सके।

महोदय, 1989 में जब वी० पी० सिंह की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक काम किया था कि उन लोगों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की थी। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि चूंकि उनमें अधिकांश लोग बिहार, यू० पी०, बंगाल, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से हैं, डी० डी० ए० में इनकी समस्याओं की चर्चा करने वाला कोई नहीं है। इनका वोट तो लेते हैं, एम० एल० ए० बनते हैं, मगर उसके बाद इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों से पांच लाख से अधिक लोग दिल्ली में स्थाई रूप से इन झुग्गी-झोंपड़ियों में बसते हैं, उन राज्यों से एक सदस्य लोक सभा का और एक सदस्य राज्य सभा का होना चाहिए, इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए डी० डी० ए० में। यह मेरा सुझाव है।

महोदय, दिल्ली में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, यहां निबंधित संस्थाओं द्वारा जो स्कूल खुलते हैं, उनको डी० डी० ए० जमीन देती है और ये सोसाइटी वाले बड़े पैमाने पर उस जमीन का दुरुपयोग करते हैं। स्कूल खोलते हैं, उसकी इतनी ऊंची फीस रखते हैं कि गरीब के बच्चों का उसमें एडमिशन नहीं होता है और जमीन का दुरुपयोग होता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इसकी जांच कराए कि उन लोगों को जहां-जहां जमीनें दी गई हैं, वहां-वहां उन जमीनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं?

महोदय, पिछले दिनों मैं ब्लू लाइन बसों के संबंध में इस सदन में ज़ीरो आॅवर में एक सवाल उठाया था और बताया था कि रोज़ इन बसों से मौतें हो रही हैं। दिल्ली में यातायात की जो व्यवस्था है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। सड़कों पर बड़ी भीड़ चल रही है। महोदय, अगर इस व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो सड़कों पर जो मौतें हो रही हैं, उनमें काफी वृद्धि